2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

ठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

दपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.

करण संख्याः- 437/2025

1 रेशम सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 गुरपाल सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:वादीगण

बनाम्

1 करनैल सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 जरनैल सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 जगसीर सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4 कर्मजीत कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह (पुत्री श्री ईशर सिंह) जाति जटसिख निवासी खराचक किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5 करमपाल कौर पत्नी श्री सुखजीत सिंह (पुत्री श्री ईशर सिंह) जाति जटसिख निवासी गदराना, तहसील कालांवाली, जिला सिरसा हरियाणा।
6 जसप्रीत कौर पत्नी श्री गुरजीत सिंह (पुत्री श्री ईशर सिंह) जाति जटसिख निवासी गदराना, तहसील कालांवाली, जिला सिरसा हरियाणा।
7 जसदीप कौर पत्नी श्री जसकरण सिंह पुत्री श्री जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8 पंजाब नेशनल बैंक शाखा पक्का सहारणा जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

स्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सहारण - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सुरेश झाझड़िया - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 7
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 5

-:निर्णयः-

दिनांक 18.12.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का ...णिक व पंजीबद्ध पता वाद-पत्र के शीर्षक में अंकितानुसार है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि ...त खातो में दर्ज राजस्व रिकार्ड है :-

चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 108/53 के पत्थर नंबर 56/228 (44) किला नंबर 6/1, 6/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 कुल तादादी 1.265 हैक्टेयर कमाण्ड मय गैरमुमकिन।

ब्र- चक 13 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत 2074-2077 खाता संख्या 12/9 पत्थर नंबर 64/233 (19) किला नंबर 11 से 14, 15/1, 15/2, पत्थर नंबर 64/236 (33) किला नंबर 22 से 24, 25/1, 25/2 कुल तादादी 2.277 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन।

।- चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 9/7 के पत्थर नंबर 57/228 (45) किला नंबर 1 से 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 से 14, 15/1, 15/2, 19/2, 20 कुल तादादी 4.199 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन।

- चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 9/5 के पत्थर नंबर 53/227 (43) किला नंबर 5, पत्थर नंबर 54/227 (42) किला नंबर 6/1, 6/2, 7 से 13, 14/1 कुल तादादी 2.378 हैक्टेयर कमाण्ड, अनकमाण्ड मय गैरमुमकिन। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदिया संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। दपत्र की धारा 3 में वर्णित वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 1 से 6 के नाम की कृषि भूमि तृक सम्पति है जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व अच्छी मंदी व रास्ता ाला की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए घराघरू विभाजन किया हुआ है। मुताबिक घराघरू विभाजन तेवादीगण सख्या 4 से 6 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि मे अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना हती है तथा उन्होनें अपना हक व हिस्सा वादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क किया हुआ है। इसी नुसार प्रतिवादिया सख्या 7 प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपना कोई हक व स्सा नहीं लेना चाहती है तथा उसने अपना हक व हिस्सा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 पक्ष में तर्क किया हुआ है। मुताबिक घराघरू बंटवारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को नलिखित विवरण की कृषि भूमि प्राप्त हुई है :-

वादी सख्या 1 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण :-

चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 9/7 के पत्थर नंबर 57/228 (45) किला नंबर 1 से 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 से 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर।

चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 108/53 के पत्थर नंबर 56/228 (44) किला नंबर 6/1/0.177 (उत्तरी), 6/2/0.025 उत्तरी कुल तादादी 0.202 हैक्टेयर।

चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 9/5 के पत्थर नंबर 54/227 (42) किला नंबर 6/1/0.114 (दक्षिणी), 6/2/0.012, 7/0.077 दक्षिणी, 11 से 13, 14/1/0.101 कुल तादादी 1.063 हैक्टेयर।

वादी सख्या 2 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण :-

चक 13 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत 2074-2077 खाता संख्या 12/9 पत्थर नंबर 64/233 (19) किला नंबर 11 से 14, 15/1, 15/2, पत्थर नंबर 64/236 (33) किला नंबर 22 से 24, 25/1, 25/2 कुल तादादी 2.277 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन।

प्रतिवादी संख्या 1 करनैल सिंह को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का विवरण :-

चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 9/5 के पत्थर नंबर 54/227 (42) किला नंबर 6/1/0.114 (उत्तरी), 6/2/0.013, 7/0.176 उत्तरी, 8 से 10 कुल तादादी 1.062 हैक्टेयर।

चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 9/7 के पत्थर नंबर 57/228 (45) किला नंबर 11 से 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 19/2/0.051, 20 कुल तादादी 1.669 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन।

चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 108/53 के पत्थर नंबर 56/228 (44) किला नंबर 14/0.136 (पश्चिमी), 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 कुल तादादी 0.642 हैक्टेयर।

- प्रतिवादी संख्या 2 जरनैल सिंह को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का विवरण :-

चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 9/5 के पत्थर नंबर 53/227 (43) किला नंबर 5 कुल तादादी 0.253 हैक्टेयर।

- प्रतिवादी सं. 3 जगसीर सिंह को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का विवरण :-

चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 108/53 के पत्थर नंबर 56/228 (44) किला नंबर 6/1/0.051 (दक्षिणी दिशा पूर्व से पश्चिम), 14/0.117 (पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण), 15/1/0.228, 15/2/0.025 कुल 0.421 हैक्टेयर।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 वादपत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि र मुताबिक घराघरू बंटवारा काबिज काश्त है व इसी कदर रकमराज व आबयाना भी अदा किया रहा है। उक्त कृषि भूमि के अलावा प्रतिवादी संख्या 2 को वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 4 से 6 के नाम की चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 10/56 की कृषि भूमि ओर त हुई है जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज काश्त है। वादपत्र की धारा 4 (क) व (ख) में र्णित कृषि भूमि मुताबिक घराघरू विभाजन वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद र्ग होने के कारण वादीगण के हक हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा उक्त कृषि भूमि झा खाता की होने के कारण रोजाना सींव, बट व रकमराज का आपस में तनाजा रहता है, इस रण वादीगण वादपत्र की धारा 4 (क) व (ख) में वर्णितानुसार घराघरू विभाजन में प्राप्त कृषि मे की खातेदरी अधिकारों की घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवाने का अधिकारी व दावेदार

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादपत्र की ण संख्या–4 में वर्णित कृषि भूमि के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर खाता ाजन करवाकर राजस्व अभिलेख में अंकन दर्ज करवा देवें लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद ण है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 8 के यहां भूमि अधिभारित होने व प्रतिवादी संख्या 9 धारक होने के कारण पक्षकार बनाये गये है। यह कि विवादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के धिकार में स्थित होने के कारण वादपत्र वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व ाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न र से डिक्री फरमाया जावें :-

क– कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में से वादपत्र की धारा 4 में ित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा की र खाता अलग तकसीम किया जाकर अलग रकमराज कायम की जावें व इसी अनुसार राजस्व लेख में अंकन दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र सिहाग उपस्थित। वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा ...वा में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र कोई विरोध ...हीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस ...भयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति व राजीनामा के दावा डिक्री किए ...ने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री ...या जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

...तः वाद वादीगण निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:-

- **वादी सख्या 1 को घरू बंट्वारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 9/7 के पत्थर नंबर 57/228 (45) किला नंबर 1 से 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 से 10 कुल तादादी 2.530 हैक्टेयर।

चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 108/53 के पत्थर नंबर 56/228 (44) किला नंबर 6/1/0.177 (उत्तरी), 6/2/0.025 उत्तरी कुल तादादी 0.202 हैक्टेयर।

चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 9/5 के पत्थर नंबर 54/227 (42) किला नंबर 6/1/0.114 (दक्षिणी), 6/2/0.012, 7/0.077 दक्षिणी, 11 से 13, 14/1/0.101 कुल तादादी 1.063 हैक्टेयर।

- **वादी सख्या 2 को घरू बंट्वारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 13 जे.डी.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत 2074-2077 खाता संख्या 12/9 पत्थर नंबर 64/233 (19) किला नंबर 11 से 14, 15/1, 15/2, पत्थर नंबर 64/236 (33) किला नंबर 22 से 24, 25/1, 25/2 कुल तादादी 2.277 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन।

- **प्रतिवादी संख्या 1 करनैल सिंह को घरू बंट्वारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 28 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 9/5 के पत्थर नंबर 54/227 (42) किला नंबर 6/1/0.114 (उत्तरी), 6/2/0.013, 7/0.176 उत्तरी, 8 से 10 कुल तादादी 1.062 हैक्टेयर।

चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 9/7 के पत्थर नंबर 57/228 (45) किला नंबर 11 से 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 19/2/0.051, 20 कुल तादादी 1.669 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन।

चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 108/53 के पत्थर नंबर 56/228 (44) किला नंबर 14/0.136 (पश्चिमी), 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 कुल तादादी 0.642 हैक्टेयर।

प्रतिवादी संख्या 2 जरनैल सिंह को घरू बंट्वारा में प्राप्त कृषि भूमि का विवरण :-

चक नंबर 28 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 9/5 के पत्थर नंबर 53/227 (43) किला नंबर 5 कुल तादादी 0.253 हैक्टेयर।

प्रतिवादी सं. 3 जगसीर सिंह को बंट्वारा में प्राप्त भूमि का विवरण :-

चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 108/53 के पत्थर नंबर 56/228 (44) किला नंबर 6/1/0.051 (दक्षिणी दिशा पूर्व से पश्चिम), 14/0.117 (पूर्वी दिशा उत्तर से दक्षिण), 15/1/0.228, 15/2/0.025 कुल 0.421 हैक्टेयर। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से या जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़